

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2002 (श्रावण 4, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखेंगे -

- (क) एफ.22-213-2001-आठ, दिनांक 20 सितम्बर, 2001,
- (ख) एफ-22-213-2001-आठ, दिनांक 26 नवम्बर, 2001; तथा
- (ग) एफ-22-39-2000-आठ, दिनांक 6 जून, 2002.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री मुंशीलाल, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम मेखड़ाहेड़ी में आंत्रशोथ का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, मुरैना जिले के अम्बाह में एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य, ग्वालियर शहर के उपनगर मुरार में एक प्रतिष्ठित व्यापारी की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री नरोत्तम मिश्रा, लालसिंह, हिम्मत कोठारी, सदस्य, ग्वालियर जिले के ग्राम बरोठ निवासी एक परिवार द्वारा आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, भूपेन्द्र सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, ग्वालियर, चंबल एवं सागर संभाग के कृषकों से सरचार्ज सहित विद्युत शुल्क की वसूली किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल शहर में नकली पेट्रोलियम पदार्थ बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किये जाने की ओर राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य, ग्वालियर जिले के अलापुर बांध से विस्थापित कृषकों को मुआवजा न दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले में अवैध रूप से चल रही वाहनों से दुर्घटनाएं होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, धार जिले की मनावर तहसील में नलकूप उत्खनन कार्य में अनियमितता होने की ओर लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के मालधीन से खुरई जा रही निजी यात्री बस की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, बाबूलाल गौर, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम गुलखेड़ी में भूमि के पट्टे वितरण में अनियमितता होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर जिले में छात्रवृत्ति की राशि के वितरण में अनियमितता के दोषियों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर आविर्भाव कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री मुन्ना सिंह, सदस्य, पुलिस कर्मचारियों के स्थानांतरण का अधिकार जिला बोर्ड को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

